न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 180/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आशा पत्नि श्री नरेन्द्रगनाथ, जाति कालबेलिया, निवासी नाथों का बास, खाण्डा फलसा, जोधपुर, हाल निवासी 93, हरीओम नगर, नन्दनवन, जोधपुर जरिये आममुखत्यार सुरेश पुत्र श्री शिवलालजी, जाति नवल, निवासी मकान संख्या 591, वार्ड संख्या 21, नवल बस्ती, गीता भवन, जोधपुर ।		01. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री अनोपसिह सोलंकी ।
3. अप्रार्थी संख्या दो की और से राजकीय पैरोकार ।

आदेश दिनांक :- 26/2/2021

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 238/1 रकबा 04 बीघा आयी हुई स्थित हैं जिस पर बहैसियत खातेदार के प्रार्थीनी मालिक काबिज काश्त हैं जिसकी राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज हैं । प्रार्थीनी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा की तरफ जेडीए की जमीन खसरा संख्या 238/2 आयी हुई स्थित हैं जिसकी भी राजस्व नक्शें में अलग से तरमीम दर्ज हैं तथा प्रार्थीनी की भूमि की पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं । प्रार्थीनी अपने खसरा संख्या 238/1 रकबा 04 बीघा कृषि भूमि की राजस्व नक्शें में दर्ज तरमीम अनुसार चारदीवारी का निर्माण करवाना चाहती हैं लेकिन राजस्व नक्शें अनुसार प्रार्थीनी की सीमाओं का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थीनी ने श्रीमान तहसीलदार साहब लूणी के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब लूणी के आदेश से टीम गठित की जाकर दिनांक 22.10.2020 को सीमाज्ञान करवा दिया गया । प्रार्थीनी ने उक्त गठित टीम को सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया ताकि कटाणी रास्ते की भूमि एवं जेडीए की भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो लेकिन उक्त टीम द्वारा पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया एवं कहा गया कि यदि आपको अपने खसरें की पत्थरगढ़ी करवानी हैं तो सक्षम न्यायालय से पत्थरगढ़ी हेतु आदेश पारित करवाना होगा । सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 की प्रति संलग्न हैं । स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थीनी के खसरा संख्या 238/1 की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं इसलिये प्रार्थीनी वास्ते स्थायी सीमाचिन्हों की पत्थरगढ़ी करवाकर अपने खसरा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

संख्या 238/1 की चारदीवारी का निर्माण करवाना चाहती हैं इसलिये श्रीमानजी के संमक्ष वास्ते पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं । उक्त खसरा संख्या 238/1 की राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार श्रीमति आशा की तरफ से मुझ सुरेश को अपना आममुखत्यार नियुक्त कर रखा हैं जो कि आममुखत्यारनामा उपपंजीयक कार्यालय लूणी, जिला जोधपुर में दिनांक 01.07.2020 को पंजीबद्ध सुदा हैं जिस आममुखत्यार नामें के तहत तमाम प्रकार की कार्यवाही किये जाने बाबत् मुझे अधिकारी दिये गये हैं तथा उक्त आममुखत्यारनामा आज दिनांक तक फोर्स में हैं एवं रद्ध अथवा रिवोक किया हुआ नही हैं । आममुखत्यारनामें में दिये गये अधिकारों के तहत ही यह प्रार्थना पत्र श्रीमति आशा के निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हैं । अतः में निवेदन किया कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 238/1 की कुल रकबा 04 बीघा कृषि भूमि का सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिनकी तामिल होने पर अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या दो को सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति पेश किये जाने हेतु तहरीर जारी की गयी जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत कर दी गयी ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकी प्रार्थीनी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 238/1 की कुल रकबा 04 बीघा की खातेदार हैं जिसकी तरमीम राजस्व नक्शें में भी दर्ज हैं तथा तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2020/पृ.सं.09/क.सं. 38 दिनांक 20.07.2020 की पालना में सीमाज्ञान किया गया जिसकी मौका फर्द दिनांक 22.10.2020 को तैयार की गयी । चूंकी प्रार्थीनी के खसरा संख्या 238/1 की कुल रकबा 04 बीघा की राजस्व नक्शें में तरमीम भी दर्ज हैं ऐसी स्थिति में तरमीम अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 238/1 की कुल रकबा 04 बीघा कृषि भूमि की राजस्व नक्शें में दर्ज तरमीम व सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 22.10.2020 अनुसार पत्थरगढ़ी की जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी